

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)  
शृंखला न्यायालय बैहर  
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

C.R.R./12/2017  
Filling No. CRR/922/2017  
CNR MP 5005001312017  
संस्थित दिनांक-13.06.2017

- 1- श्रीमती प्रभा सूर्यवंशी पति भरतलाल सूर्यवंशी उम्र 42 वर्ष  
निवासी-मजगांव हालमुकाम-वार्ड नंबर 30 सरस्वती नगर  
तहसील व जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

- 1- श्रीमती पवन मेश्राम पिता बलवंत मेश्राम जाति महार उम्र 48 वर्ष  
निवासी-ग्राम अचानकपुर (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिम्हाटोला)  
थाना तहसील बिरसा जिला बालाघाट  
2- भरतलाल सूर्यवंशी वल्द भोंदू सूर्यवंशी उम्र 56 वर्ष जाति महार  
निवासी-ग्राम मजगांव थाना बिरसा तहसील बिरसा  
जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - गैरपुनरीक्षणकर्ता

=====

{न्यायालय:-श्री दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर द्वारा एम.जे.सी. क्रमांक 82/2016 पवन मेश्राम बनाम  
भरतलाल में आदेश दिनांक 08.04.2017 से परिवेदित होकर यह  
पुनरीक्षण प्रस्तुत की है}

=====

श्री असद रेहान कुरैशी अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता।  
श्री नीरज बाघमारे अधिवक्ता वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्तागण।

=====

- // // निर्णय // // -  
(आज दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को घोषित)

1. पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण श्री दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 82/2016 पवन विरुद्ध भरतलाल व अन्य 1 आदेश दिनांक 08.04.2017 से परिवेदित होकर पेश की गई है।
2. पुनरीक्षण का सार यह है कि पुनरीक्षणकर्ता-गैरपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 2 की पत्नी है। उत्तरवादी क्रमांक 1, उत्तरवादी क्रमांक 2 की तलाकशुदा पत्नी है। पुनरीक्षणकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 2 के साथ दंपत्य जीवन व्यतीत कर रही है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि पुनरीक्षणकर्ता/ आपत्तिकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 2 की वैध विवाहिता पत्नी है। व्यवहार वाद क्रमांक 88ए/2007 प्रभा सूर्यवंशी विरुद्ध भरतलाल सूर्यवंशी में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति की पेश नकल की ओर ध्यान न देकर त्रुटि की है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पेश आपत्ति का निराकरण किए बिना दुरभिसंधियुक्त राजीनामा प्राप्त कर आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर न देकर त्रुटि की है। दिनांक 04.08.2017 को आपत्तिकर्ता को आहुत न कर त्रुटि की है। मिथ्या कथन कर पेश राजीनामा स्वीकार कर त्रुटि की है। उत्तरवादी क्रमांक 1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, के तथ्य को न्यायालय से छुपाकर उत्तरवादी क्रमांक 2 से दुरभिसंधि कर आपत्ति/पुनरीक्षणकर्ता को क्षति पहुंचाने के लिए कानूनी त्रुटि की है। प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार कर आदेश दिनांक 08.04.2017 को निरस्त कर पुनः सुनवाई का अवसर दिए जाने की याचना की है।
3. आवेदिका/उत्तरवादी क्रमांक 1 के मूल आवेदन अंतर्गत धारा 125 का सार यह है कि आवेदिका का अनावेदक/उत्तरवादी क्रमांक 2 से बौद्ध धर्मावलंबी प्रथानुसार दिनांक 27.04.1994 को ग्राम अचानकपुर में विवाह संपन्न हुआ था। दोनों के वैवाहिक संबंध से पुत्र अमित सूर्यवंशी का जन्म हुआ जो 24 वर्ष का है। विवाह के 7 वर्ष बाद उभयपक्ष के वैवाहिक संबंध ठीक नहीं रहे। अनावेदक कहता था कि आवेदिका उसके योग्य नहीं है। वह खाने पीने की

व्यवस्था नहीं करता था। आवेदिका अपने मायके में रहकर निवास करने लगी। अनावेदक की धमकी से भयभीत होकर 50/-रुपए के स्टाम्प पर तलाकनामा तहरीर हुआ जिसमें आवेदिका को भरणपोषण हेतु व्यवस्था करने का कथन किया था, 12 वर्षों तक भरणपोषण की व्यवस्था करते रहा, 3-4 वर्षों से अनावेदक ने राशि देना बंद कर दिया। अनावेदक छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग में वरिष्ठ उच्च श्रेणी के शिक्षक के पद पर पदस्थ है उसे 55000/-रु. मासिक वेतन मिलता है, भरणपोषण राशि अदा करने में सक्षम है, 10000/-रु. मासिक दिलाए जाने की याचना की है।

4. अनावेदक/उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उत्तर पेश नहीं किया है।
5. पुनरीक्षण में आपत्ति दिनांक 21.11.2016 को पेश कर लेख किया है कि आपत्तिकर्ता अनावेदक भरतलाल की विवाहिता पत्नि है। आवेदिका अनावेदक की तलाकशुदा पत्नि है। आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य 2001 में विवाह-विच्छेद हो गया था। वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद में सेवारत है। भरतलाल सूर्यवंशी के साथ आपत्तिकर्ता ने दिनांक 08.08.2003 को विवाह किया, के पश्चात् आपत्तिकर्ता एवं उत्तरवादी दांपत्य जीवन व्यतीत करने लगी। विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 22/96 में आवेदिका का भरणपोषण का आवेदन निरस्त किया गया।
6. अनावेदक भरतलाल ने तलाकशुदा पत्नि आवेदिका से अनैतिक संबंध स्थापित कर आपत्तिकर्ता द्वारना विरोध करने पर भरतलाल ने आपत्तिकर्ता को प्रताड़ित किया तथा आपत्तिकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2 के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन मामला पेश किया। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बालाघाट के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 88ए/2007 पेश किया जिसमें दिनांक 07.07.2008 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। पवन मेश्राम एवं भरतलाल के मध्य

विवाह-विच्छेद हो जाने से वह पत्नि नहीं है घोषित किया गया। इसके बाद भी भरणपोषण हेतु श्रीमती पवन ने आवेदन पेश किया है। दुरभि संधि कर न्यायालय को धोखे में रखकर आदेश पारित कराना चाहते हैं। माननीय न्यायालय के आदेश से प्रभा सूर्यवंशी को अपूरणीय क्षति होगी, आपत्तिकर्ता को अनावेदक से राशि दिलाए जाने की याचना की है।

**पुनरीक्षण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-**

1. क्या विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दा.प्र.क. 82/2016, श्रीमती पवन विरुद्ध भरतलाल सूर्यवंशी आदेश दिनांक 08.04.2017 में तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य आदेश हस्तक्षेप योग्य है ?

**विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-**

7. मूल विविध आपराधिक क्रमांक 82/2016 श्रीमती पवन विरुद्ध भरतलाल के मध्य धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन दिनांक 18.10.2016 को पेश आवेदन पत्र के आधार पर पंजीबद्ध रहा है जिसमें पक्षकारों के मध्य दिनांक 08.04.2017 को उभयपक्ष द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र पेश किए जाने पर अनावेदक भरतलाल द्वारा आवेदिका को 10000/-रुपए भरणपोषण राशि अदा किए जाने पर मामले का अंतिम निराकरण हुआ है।

8. पुनरीक्षणकर्ता उक्त मामले में आपत्तिकर्ता के रूप में दिनांक 21.11.2016 को उपस्थित हुई है तथा आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 सी. पी.सी. के अधीन आवेदन पत्र पेश किया है। इस आवेदन पत्र का निराकरण किए बिना विचारण न्यायालय ने राजीनामा डिक्री पारित कर त्रुटि की है। पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। आवेदिका ने न्यायालय को धोखा देकर राजीनामा डिक्री प्राप्त की। धोखे के आधार पर डिक्री पाने से उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

9. इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री असद रेहान कुरैशी अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क 4 पृष्ठ में पेश किया गया। न्यायदृष्टांत महिला भांवरीबाई विरुद्ध कश्मीरसिंह अन्य 2009 (3) एम.पी.एल.जे. 183 पेश किया, का अध्ययन किया गया जिसमें धोखे के आधार पर डिक्री प्राप्त किए जाने का कारण उसे सुपीरियर कोर्ट इंफेरियर कोर्ट में किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है प्रतिपादित किया है।

10. प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर मूल मामले में धोखा, छल के तथ्य को देखा गया।

11. मूल आवेदन पत्र में आवेदिका ने पद क्रमांक 4 में स्पष्ट लेख किया है कि दिनांक 19.12.2001 को 50/-रुपए के स्टाम्प पर तलाकनामा लिख दी थी। तलाकनामा तहरीर करते समय अनावेदक ने आवेदिका के भरणपोषण की व्यवस्था करने का वचन दिया था। पद क्रमांक 5 में लेख किया है कि आवेदिका का तलाकनामा तहरीर के बाद 12 वर्षों तक अनावेदक ने उसके भरणपोषण की व्यवस्था के पश्चात् 3-4 वर्षों से नहीं कर रहा है इसलिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

12. **धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार है :-**

(क) अपनी पत्नी का, जो अपने भरणपोषण करने में असमर्थ है,  
या X X X

**स्पष्टीकरण - -**

(क) " अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है, X X X



(ख) “ पत्नी” के अन्तर्गत ऐसा स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह—विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह—विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

13. इस प्रकार धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन आवेदन पत्र का निराकरण किये जाते समय पत्नि ने विवाह—विच्छेदयुक्त पत्नि भी शामिल है जो स्पष्टीकरण—ख में लेख है। आवेदिका ने पुनर्विवाह किया है ऐसा पुनरीक्षणकर्ता आपत्ति में भी लेख नहीं है इसलिए गैरपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 ने कोई छल, धोखा, कपट अनावेदक क्रमांक 1/उत्तरवादी क्रमांक 2 के साथ अथवा न्यायालय के साथ किया है, का कोई तथ्यात्मक आधार अभिलेख पर नहीं है इसलिए दिनांक 04.08.2017 को लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर हुए प्रश्नाधीन आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।

20. यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता ने आपत्ति पेश की है जिसमें स्वयं को अनावेदक के रूप में जोड़े जाने हेतु निवेदन किया है। धारा 125 द.प्र. सं. में पति अथवा पूर्व पति से राशि पाने का प्रावधान है किंतु पूर्व पति को नवीन पत्नि से भरणपोषण राशि पाने का प्रावधान नहीं है इसलिए पुनरीक्षणकर्ता का आपत्तियुक्त आवेदन विधिक दृष्टि में स्वीकार होने योग्य नहीं है, उसे सुना जाना आवश्यक नहीं है। परिणामतः अनावश्यक प्रकृति के आवेदन का निराकरण किए बिना यदि लोक अदालत में मूल पक्षकारों के बीच राजीनामा हुआ है और अनावेदक/उत्तरवादी क्रमांक 2, आवेदिका/उत्तरवादी क्रमांक 1 को अपने वेतन से 10000/—रुपए देने के लिये सहमति देता है तो वह सहमति कपटपूर्वक ली गई सहमति नहीं है।

14. पुनरीक्षणकर्ता का मूल आवेदन पत्र/आपत्ति के रूप में लेख आवेदन पत्र में यह स्पष्ट लेख है कि उसने अनावेदक के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन कार्यवाही की है। इस पंक्ति से स्पष्ट है

कि उपस्थित प्रभा सूर्यवंशी अपने पति भरतलाल के साथ विवादों के कारण निवास नहीं कर रही है वह दांपत्य सुखों से वंचित है। पुनरीक्षणकर्ता ने आपत्ति वाला आवेदन में लेख किया है कि अनावेदक पति ने आवेदिका के साथ तलाक के बाद भी शारीरिक संबंध बना लिया है, के अनावेदक का आचरण से पुनरीक्षणकर्ता आहत है। इस कृत्य के लिये पुनरीक्षणकर्ता पृथक् भारतीय दण्ड संहिता के अधीन परिवाद पेश कर सकती थी। केवल पूर्व पत्नि के आवेदन पत्र के निराकरण में उसे विलम्ब कारित करने की अधिकारिता नहीं है। प्रस्तुत पुनरीक्षण विधिक, तथ्यात्मक रूप से गुणदोष के स्तर पर कोई बल नहीं रखता है।

15. अतः पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पेश पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है और प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 08.04.2017 की पुष्टि की जाती है।

16. आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर परिणाम पंजी में दर्ज करने हेतु विचारण न्यायालय की ओर भेजी जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित  
किया गया।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर